न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :–188/2012/भीलवाड़ा (2012/00008)

1. बालकिशन आचार्य पुत्र मगनीराम आचार्य, निवासी हलेड़, तहसील व जिला भीलवाड़ा ।
2. श्रीमती बदाम बाई पत्नि रामलाल नायक, निवासी हलेड़, तह0 व जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट्स

बनाम

1. ग्राम पंचायत बेरा, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत बेरा, तह0 बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा ।
2. कल्याण एल्यूमिनियम प्राईवेट लिमिटेड, मोक्षधाम के पास, बी0एस0एल0 रोड़, गांधी नगर, भीलवाड़ा ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा दिनांक 29.6.2012 अपील संख्या 12/2011 (5/2007).

उपस्थितः–

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट्स ।
2. रेस्पोडेंट्स अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः–30.10.2017

अपीलांट्स ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 29.6.2012 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा दांथल में अवस्थित आराजी खसरा नंबर 2916/2297 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा एवं आराजी खसरा

नंबर 2294 व 2296 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा का 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार शंकरलाल पुत्र पन्नालाल बलाई से क्रमशः 1,90,000/–रू0 एवं 2,50,000/–रू0 में जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से अपीलांट्स ने दिनांक 9.8.2007 को खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया है। अपीलांट्स अपनी खरीदशुदा आराजी को नामांतकरण स्वीकार किये जाने हेतु ग्राम पंचायत बैरा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र मय पंजीकृत विक्रय पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत कर नामांतकरण स्वीकार करने का निवेदन किया । ग्राम पंचायत, बैरा ने बिना जांच किये और बिना नियमों की पालना किये आदेश दिनांक 20.9.2007 से अपीलांट्स के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया । अपीलांट्स ने ग्राम पंचायत बेरा के आदेश दिनांक 20.9.2007 से व्यथित होकर उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा के न्यायालय में अपील के विचाराधीन रहते रेस्पो0 संख्या 2 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 पेश किया जिसे अधी0न्याया0 ने स्वीकार कर निर्णय दिनांक 29.6.2012 द्वारा अपीलांट्स की अपील अपास्त कर दी । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने एवं अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अस्पष्ट, कारण रहित एवं नॉन स्पीकिंग आदेश से क्षैत्राधिकार का गलत प्रयोग कर अपील को मियाद बाहर मानकर खारीज कर भारी कानूनी भूल की है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू पर ध्यान नहीं दिया कि न्यायालय हाजा ने अपने आदेश दिनांक 14.9.2011 में प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय करने के निर्देश दिये थे । ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में अधी0न्याया0 को अपील को तकनीकी बिन्दू पर निरस्त नहीं कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत, बेरा ने अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिए बिना एवं बिना नोटिस दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया था। यदि अधी0न्याया0 में अपीलांट्स की अपील मियाद बाहर थी तो अधी0न्याया0 अपीलांट्स को धारा 5 मियाद अधि0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की हिदायत दे सकते थे । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 व धारा 3 (1) परिसीमा अधि0 के प्रावधान मौजूदा अपील में लागू नहीं होते है तो फिर उक्त प्रावधानों के तहत अपील को निर्णित भी नहीं किया जा सकता था । रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 के समक्ष संधारण योग्य ही नहीं था । अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 2 को लाभ पहुंचाने की नियत से

अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष अपील के विचाराधीन रहते रेस्पो0 संख्या 2 को आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के तहत दिनांक 25.3.2008 को अपील में पक्षकार बनाया गया था जबकि अपीलांट्स द्वारा अधी0न्याया0 में अपील दिनांक 26.11.2007 को ही प्रस्तुत की जा चुकी थी । रेस्पो0 संख्या 2 के विरूद्ध अपील मियाद बाहर नहीं मानी जा सकती थी । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने न्यायालय हाजा के आदेशों को नजरअंदाज कर रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 को स्वीकार कर अपीलांट्स की अपील निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 29.6.2012 अपास्त किया जावे । xx

4- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों का अवलोकन किया एवं अभिभाषक अपीलांट्स की बहस पर मनन किया । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट्स की अपील रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 व धारा 3 (1) परिसीमा अधि0 स्वीकार कर तकनीकी आधार पर मियाद के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर अपील खारिज की है । अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध विक्रय पत्र से यह स्पष्ट है कि अपीलांट संख्या 1 ने ग्राम बेरा तहसील बनेड़ा स्थित आराजी खसरा नंबर 2916/2297 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि खातेदार शंकरलाल पुत्र पन्नालाल बलाई से तथा अपीलांट संख्या 2 ने ग्राम बेरा तहसील बनेड़ा स्थित आराजी खसरा नंबर 2294 रकबा 11 बिस्वा एवं आराजी नंबर 2296 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि खातेदार शंकरलाल पुत्र पन्नालाल बलाई से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की थी । अपीलांट्स द्वारा उक्त विक्रयपत्रों के आधार पर ग्राम पंचायत बेरा के समक्ष नामांतकरण हेतु आवेदन किये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांट्स के पक्ष में भरे गये नामांतकरण संख्या 1664 एवं 1665 दिनांक 20.9.2007 को नामांतकरण इस आधार पर अपास्त किया है कि रजिस्ट्री पर उप पंजीयक ने नोट लगा रखा है कि प्रकरण संख्या 109/2007 राजस्व वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा में विचाराधीन है । ग्राम पंचायत के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट्स ने प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा के न्यायालय में पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 30.7.2008 द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांट्स की अपील अपास्त की गई है । अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 30.7.2008 के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 14.9.2011 द्वारा अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 30.7.2008 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधी0न्याया0 को गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था। अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 29.6.2012 के अवलोकन

से यह स्पष्ट है कि प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा अपील के विचाराधीन रहते प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 एवं धारा 3 (1) परिसीमा अधि0 प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 2 का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट्स की अपील मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से तकनीकी आधार पर अपास्त की है जबकि न्यायालय हाजा ने अपने पूर्व निर्णय दिनांक 14.9.2011 में अधी0न्याया0 का निर्णय अपास्त करते हुए प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया था कि रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 पर पुर्नविचार कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । अधी0न्याया0 के निर्णय से पूर्णतया स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 14.9.2011 में दिये गये निर्देशों की पालना न कर मात्र तकनीकी आधार पर अपीलांट्स की अपील अपास्त की है । आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत केवल वाद को उक्त आदेश में दिये गये प्रावधानों के तहत खारिज किया जा सकता है ना कि नामांतकरण की अपील को । अधी0न्याया0 ने न्यायालय हाजा के पूर्व निर्णय में दिये गये निर्देशों तथा आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में दिये गये प्रावधानों के विपरीत अपीलांट्स की अपील अपास्त की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनाक 29.6.2012 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 188/2012 (2012/00008) बउनवानी बालकिशन बनाम ग्राम पंचायत, बेरा को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा अधी0न्याया0 का अपील संख्या 12/2011 (5/2007) बउनवान बालकिशन आचार्य बनाम ग्राम पंचायत, बेरा में पारित निर्णय दिनांक 296.2012 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित की जाकर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को पुनः गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 30.10.2017 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर